प्रतिशिष्ट (अ)

[24/12/2021]

मध्य प्रदेश शासन

प्रश्न संख्या [क्र 1384]

पशुपालन विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 31.3./10.4.2000

क्रमांक एफ 2-12/99/37

प्रति,

संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें,
भोपाल

विषयः- मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 15.1.99 को डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक-1 पर कार्यवाही ।

मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 15.1.99 को लिये गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-5/99/एक-1 दिनांक 3.1.2000 के परिपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा दुग्धायुक्त कार्यालय डेयरी विकास एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों यथा शासकीय दुग्ध योजनायें/शीतकेन्द्र/संभागीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये वर्गवार, संवर्गवार स्वीकृत पदों में से संलग्न सूची अनुसार 775 पद दिनांक 1.3.2000 से 28.2.2001 तक पशुपालन विभाग में सांख्योत्तर पद निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. इन 775 पदों में से व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर पद स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
2. पदों को एक-एक वर्ष के लिये निर्मित करते हुए शेष रह गये व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 163/एस.आर. 55/ब-4 दिनांक 10.4.2000 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश को पृष्ठांकित की गई ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(कुशीराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग

संचालक
पशुपालन म. प्र., भोपाल

क्रमशः 2